उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-18/1611/26-3-2013-4(25)/2013

लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2013

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवं शुक्ल प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2207/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवं शुक्ल प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 07 जनवरी, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 प्रख्यापित की गयी है।

2. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 के प्रस्तर-5(xii)(घ) एवं उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 के प्रस्तर-5(x)(घ) में यह प्राविधान किया गया है कि जो निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत नहीं हैं व पाठ्यक्रम के शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति दर अथवा संस्थान द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी। इस प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में निजी क्षेत्र के ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान जो अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत नहीं हैं व पाठ्यक्रम के शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन सस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रतिपूर्ति दर निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में निम्नवत् कमेटी का गठन किया जाता है --

1.	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों	सदस्य
8.	निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0	सदस्य सचिव

3. उपर्युक्तानुसार निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रतिपूर्ति दर निर्धारित किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव

http://shasanadesh.up.nic.in

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उक्त कमेटी के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1611(1)/26-3-2013 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक/समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
4. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0राम मोहन राव)
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in